न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 02/2019

अनवान : –

1. गोमती पुत्री खिराज पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. पारा पुत्री खिराज पत्नी हडमान जाति जाट निवासी देवासर तहसील सरदारशहर।
3. विद्या देवी पुत्री खिराज पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी चक 10 एसएसआर मुन्सरी तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री खिराज पत्नी बलराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालु तहसील संगरिया।

– सायलान

बनाम्

1. कमला पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर।
2. श्योचन्द पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. मनफुल पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर–फौत

   3/1. तखी धर्मपत्नी मनफुल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

   3/2. नेतराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

   3/3. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

   3/4. देवीलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

   3/5. रामकुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

   3/6. गीता पुत्री मनफुल पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी छोटा धीरवास तहसील तारानगर।

   3/7. लिलावती पुत्री मनफुल पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर।

   3/8. गिरदावरी पुत्री मनफुल पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. जयपाल पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी चाईया तहसील तारानगर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. मैनेजर एमजीबी बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
7. मैनेजर ओबीसी बैंक शाखा चाईया तहसील रावतसर।
8. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 05/02/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:09 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य [illegible] है की प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा [illegible] के तहत पेश कि[illegible] है कि रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 17/15 के ख0न0 65 की 11.256 हैक्ट व ख0न0 67 की 2.9090 हैक्ट भूमि के खिराजराम पुत्र आदुराम खातेदार काश्तकार थे।

खिराजराम पुत्र आदुराम के फौत होने के बाद उकने पुत्र मनीराम व उनकी पत्नी जैतादेवी ने अपने नाम जरिये विरासनत नामान्तरण भूमि अनुचित तरीके से अकेलों के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि सायलान के पिता की स्वयं की अर्जित भूमि थी प्रार्थीगण के मृतक भाई मनीराम व माता जैता के साथ प्रार्थीगण का बहिब हक हिस्सा था। उक्त भूमि में से ख0न0 65 की 44 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 240 हिस्सा यानि 12 बिघा भूमि गैरसायल स0 2 व 3 को बेयनामा करवा दिया तथा उसके बाद जैता पत्नी खिराज के 445 हिस्सा दर्ज रही तथा मनीराम पुत्र खिराज के 205 हिस्सा दर्ज रही उसके बाद मनीराम ने जैता के फौत होने के बाद 445 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा ख0न0 65 की 11.256 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 को 200 हिस्सा बैय कर दिया तथा गैरसायल स0 2 ता 3 को 445 हिस्सा व गैरसायल स0 4 को 245 हिस्सा बैय कर दिया वर्तमान में भूमि बैयनामा के मुताबिक गैरसायलान के नाम दर्ज है। मनीराम के देहान्त के बाद सायलान का मनीराम व जैता के साथ जन्मजात हक हिस्सा था जबकि मनीराम ने अपने नाम उक्त भूमि दर्ज करवा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान जरिये बैयानामा कर दिये उक्त बैयनामे शुन्य है। गैरसायलान द्वारा उक्त भूमि अपने नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवाई गई है। अतः गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे की गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तिकल न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 17/15 के ख0न0 65 की 11.256 हैक्ट व ख0न0 67 की 2.9090 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि गैरसायलान की जरिये बैयनामा खरीद की गई है एवं भूमि गैरसायलान के कब्जा काश्त में है इसलिए सायलान उक्त भूमि में से गैरसायलान का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी नही है। गैरसायलान उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया।

हम गहन अध्ययन करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहूंचे है कि विवादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त प्रस्तुत नवीनतम जमाबंदी व पुरानी जमांदीया व चित्रप्रति नामान्तरण से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिफल देकर खरीदी है। रजिस्टर्ड बैयनमों

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खंडन में अधिवक्ता सायलान द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया है यानि की बैयनामे आदिनांक तक वैध है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है न की प्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा जारी होती है तो अपूर्णीय क्षति भी रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण दिनांक किया जाकर दिनांक 15.01.2019 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:09 IST
Reason: SelfAttested